731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मार्च 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 731वीं बैठक दिनांक 19/03/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री ए.ए.मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. **Case No P-2/59/2024 SHRI BHAGWATI SHARMA, H.NO. 128, Bhatnagar Wali Gali, Teacher Colony, Dabra, Gwalior (M.P.) 475110, Prior Environment Clearance for BADERABUJURG MURUM QUARRY of 1.00 Hectare Area, Khasra No. 136 in Village- Baderabujurg, Tehsil - Dabra, District – Gwalior (M.P.) (Maximum Production – 15,000 Cubic Meter).**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 19/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Bhagwati Sharma एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा. लि., नोयडा,(उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	SHRI BHAGWATI SHARMA, H.NO. 128, Bhatnagar Wali Gali, Teacher Colony, Dabra, Gwalior (M.P.) 475110, Prior Environment Clearance for BADERABUJURG MURUM QUARRY of 1.00 Hectare Area, Khasra No. 136 in Village- Baderabujurg, Tehsil - Dabra, District – Gwalior (M.P.) (Maximum Production – 15,000 Cubic Meter), SIA/MP/MIN/457982/2023.	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 136ए	एरिया– 1.00 ha., शासकीय भूमि

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मार्च 2024

परियोजना स्थल	Village- Baderabujurg, Tehsil - Dabra, District – Gwalior (M.P.)
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 9936 दिनांक 03/08/2023.
परियोजना की श्रेणी	बी–2. Fresh EC.
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	Consent will be obtained after EC.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	लागू नही।
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।
उत्पादन क्षमता	• मुरूम – 15,000 घनमीटर/वर्ष.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र 1433 दिनांक 06/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नही है जिनका कुल रकबा 1.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र 1433 दिनांक 06/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र 1433 दिनांक 06/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत–बडेरा बुर्जुग, जिला–ग्वालियर का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 14 दिनांक 26/01/2020 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया की लीज क्षेत्र में चार वृक्ष हैं जो कि बेरियर जोन में स्थित है इन को नहीं काटा जावेगा
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	लीज क्षेत्र लगभग 9 मी. ऊँची पहाडी पर स्थित है। उत्तर दिशा– कच्चा रोड लगभग 25 मी. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 25 मी. का सेटबैक छोडा गया हैं।
	उत्तर पूर्व दिशा– मकान लगभग 193 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र 1433 दिनांक 06/09/2023 अनुसार अवगत कराया कि इस खदान का विवरण जिले नवीन

	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोड़ी जावेगी।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने गूगल ईमेज के अनुसार पाया कि लीज क्षेत्र में झाडियों एवं पेड़ो को मिलाकर लगभग 100 हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि 1000 पेड अतिरिक्त लगाये जावेगें एवं वृक्षो को काटने कि अनुमति सक्षम अधिकारी से विधिवत् प्राप्त करेगें। इसके अतिरिक्त निर्देश दिये कि लीज क्षेत्र के चारो ओर continous contour trenches बनायी जावेगी एवं बेरीयर जोन मे मात्र करधई के पेड लगाये जायें एवं जो बंड बनेगा उस पर नीम की निबोली/ कस्टार के बीज लगायेंगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 15,000 .मी3 प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.57 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.91 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक, 1000 पेड अतिरिक्त लगाये जावेंगें एवं वृक्षो को काटने कि अनुमति सक्षम अधिकारी से विधिवत् प्राप्त करेगें। इसके अतिरिक्त लीज क्षेत्र के चारो ओर continous contour trenches बनायी जावेगी एवं बेरीयर जोन मे मात्र करधई के पेड़ लगाये जायें एवं जो बंड बनेगा उस पर नीम की निबोली/ कस्टार के बीज लगायेंगे।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू. में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल बडेरा बुजुर्ग में रंगाई पुताई एवं अधोसंरचना विकास	60,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन ऊचाई 1.5 मीटर से ऊपर (ट्री गार्ड सहित)	नीम, करधई	1700
2	परिवहन मार्ग (पूर्ण सुरक्षा सहित)	कदम्ब, जंगल जलेबी, चिरोल, नीम, पीपल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं ट्री गार्ड के साथ	100
3	बडेराबुजुर्ग ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	400
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. **Case No P-2/60/2024 Shri KAMAL KESHRIYA, 81, Patel Mohalla, Village Gangapur, Shajapur Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone and M-SAND in an area of 3.00 ha. (Stone – 8100 घनमीटर/वर्ष एवं M-SAND – 5130 घनमीटर/वर्ष) (Khasra No. 291 & 292) Village – Gangapur, Tehsil – Badaud & District – Agar Malwa (M.P.) (MIN/457990/2024)**

प्रस्तावित Stone खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए है, जिसमें आज दिनांक 19/03/24. को परियोजना प्रस्तावक Shri KAMAL KESHRIYA online **एवं पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा,(उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।**

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मार्च 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri KAMAL KESHRIYA, 81, Patel Mohalla, Village Gangapur, Shajapur Madhya Pradesh	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	291 – 292 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village – Gangapur, Tehsil – Badaud & District – Agar Malwa (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगरमालवा के पत्र क्रमांक 13085 दिनांक 03/10/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone – 8100 घनमीटर/वर्ष एवं M-SAND – 5130 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Stone– 8100 घनमीटर/वर्ष एवं M-SAND – 5130 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगरमालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 38 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगरमालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 38 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगरमालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 38 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गंगापुर जिला आगरमालवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 28/10/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	

वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि लीज क्षेत्र में झाडियों एवं पेडो को मिलाकर लगभग 60 हैं, इनको नहीं काटा जावेगा एवं पेडो झाडियों से आच्छादित क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोडा गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला आगरमालवा में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिपेक्ष में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 8100 घनमीटर/वर्ष एवं एम.सेंड 5130 घनमीटर/वर्ष प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 24.05 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03. 60 लाख प्रति वर्ष।
3. लीज क्षेत्र के समीप में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
5. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
6. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
7. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुए है, अतः वहॉ अस्थाई सरंचना की कर्टेनवाल बनाई जाये एवं जिसे खनन् की दिशा में समय–समय पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जिससे खनन् से उत्पन्न होने वाली धूल से कृषि प्रभावित न हो ।

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू. में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल गंगापुर में 1 कम्प्युटर, प्रिन्टर, प्रिन्टर टेबल के साथ एवं दो अलमारी शासकीय प्राथमिक स्कूल गंगापुर में खुले बैंरवेल कैं बन्द कराना।	60,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, करधई, कस्टार चिरैंल, सिस्सू, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1700 + 500
2	परिवहन मार्ग (पूर्ण सुरक्षा सहित) ऊचाई 1.5 मीटर से ऊपर (ट्री गार्ड सहित)	चिरोल, नीम, पीपल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	200
3	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	1000
3	**शास. अंकुर योजना के तहत गंगापुरवासि ग्रामयों मे वितरण हेतु**	**इमली, आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।**	**700** + 500

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. **Case No 9483/2022 Smt. Kali Bai, Owner R/o 62, Sarnath Colony, Bijalpur District Indore (MP) Prior Environment Clearance for Murum Quarry in an area of 8.322 ha. (80000 Cum per annum) (Khasra No. 237), Village - Malakhedi, Tehsil - Sawer, Dist. Indore (MP) (MIN/458097/2024)**

प्रस्तावित Murum खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 20/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Smt. Kali Bai online एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए। और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Smt. Kali Bai, Owner R/o 62, Sarnath Colony, Bijalpur District Indore (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	237 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	**8.322** hectare.
स्थल	Village - Malakhedi, Tehsil - Sawer, Dist. Indore (MP)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 3785 दिनांक 23/3/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Murram Quarry- 80000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Murram Quarry- 80000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1371 दिनांक 13/07/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 16.322 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1371 दिनांक 13/07/2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1371 दिनांक 13/07/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/	

	तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पचौला जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 13 / 7 / 21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि लीज क्षेत्र में कुछ पेड हैं, इनको नहीं काटा जावेगा।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा– कच्चा रोड 126 मी. शेड लगभग 125 मी.
	पश्चिम दिशा– आबादी लगभग 500 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला इंदौर में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04 / 08 / 22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक / पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि टार बिन्दु के अनुसार आवेदित क्षेत्र के अंदर पश्चिम दिशा में स्थित शमशान घाट के संबंध में ग्राम पंचायत का पत्र दिनांक 10 / 10 / 23 प्रस्तुत जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति दी गयी है एवं उक्त खनन् पट्टा क्षेत्र के अंदर वर्तमान में जो श्मशान घाट का टिन शेड स्थित है वह पूर्व में बनाया गया था, जिसका वर्तमान व भविष्य में कोई उपयोग नहीं किया जायेगा क्योंकि गांव का नया शमशान गांव के बाहर नदी के पास स्थित है जो वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। **जन सुनवाई में इसके लिए कोई आपत्ति नहीं उठाई गई , फिर भी पॉइंट इ से पॉइंट एफ तक लगभग 0.30 हेक्टयर का क्षेत्र छोड़ा गया हे जिसमे माइनिंग नहीं की जाएगी और पौधा रोपण किया जायेगा**

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया की शमशान घाट के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा जगह दी गयी थी परन्तु शमशन घाट का वर्तमान में अब कोई उपयोग नहीं है, पत्र में उल्लेख किया है की मालाखेडी शमशान घाट को अन्यत्र मेन रोड पर नवीन बनाया गया है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत का पत्र दिनांक 10 / 10 / 23 भी प्रस्तुत किया गया। समिति ने यह निर्णय लिया की चूंकि पूर्व में शमशन घाट उपयोग होता था ऐसी स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप में दर्शाया

गया है कि 01 है. क्षेत्र गैर–खनन् क्षेत्र छोडे जावे। अतः वहॉ कर्टेनवाल बनाई जाये एवं चारो ओर बरगद, पीपल एवं नीम आदि के 01 मी. से बड़े पेड़ लगाये जावे ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 80,000 घनमीटर/वर्ष है
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.69 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 02.95 लाख प्रति वर्ष।
3. पश्चिम दिशा में स्थित शमशान घाट कि ओर 01 है. क्षेत्र गैर–खनन् क्षेत्र छोडे जावे एवं वहाँ कर्टेनवाल बनाई जाये एवं चारो ओर बरगद, पीपल एवं नीम आदि के 01 मी. से बडे पेड लगा दिये जावे ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 04.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
गांव मालाखेडी एवं पंचोला के प्राथमिक विघालय में अधोसंरचना विकास हेतु पालक संघ को वितिय सहायता दी जाएगी।	**2,00,000**
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम मालाखेड़ी के रोड की रखरखाव एवं मरम्मत के वितिय सहयोग करना।	**2,50,000**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन् अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 10,000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (1230 मीटर) पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा	**सीताफल, काला सिरस, सफेद सिरस, अंजन, कुसुम** नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	1000
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (3000 मीटर) के दोनो तरफ दो पंक्तियो में 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में ।	**काला सिरस, सफेद सिरस, अंजन, कुसुम** नीम, पीपल, करंज, चिरोल आदि।	3000
3	आस पास के ग्रामीण किसानो	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली,	6000

	को पौधे वितरित किये जायेंगे ग्राम (मालाखेड़ी, पांचोला, सिन्नोद)।	कटहल, सीताफल फलदार एवं चारागाह पौधे आदि दिए जाएंगे	
4	नॉन माइनिंग क्षेत्र में लगाए जाने वाले पौधे	काला सिरस, सफेद सिरस, अंजन, कुसुम नीम, पीपल, करंज, चिरोल आदि।	200
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

4. **Case No 9392/22 RANJU GOEL, Ward No.9 , Shahdol, District- Shahdol (M.P.). 484001, Village- Majhauli - Tikradudhi, Tehsil- Pusprajgarh, District- Anuppur (Madhya Pradesh). Prior Environment Clearance for Laterite, Ochre & White Clay Mine in an area of 7.768 ha. Khasra No. 50,51/1,51/2,51/3,279/1,279/2, 279/3,280,282 AREA- 7.768 Ha. Product: Ochre /White Clay & Laterite- 65880 TPA.(Ochre: 50,220 (Max) Ton/Annum White Clay: 5,580 (Max) Ton/Annum Laterite: 10,080 Ton/Annum). (Ammended in ToR.) (MIN/458083/2024).**

This is case of Laterite, Ochre & White Clay Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 50, 51/1, 51/2, 51/3, 279/1, 579/2, 279/3, 280, 282), Village - Majhauli - Tikradudhi, Tehsil - Pushprajgarh, Dist. Anuppur (MP) 7.768 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

In the SEAC meeting 605th dated 10-11-2022 TOR was recommended by SEAC committee.

आज दिनांक 19/03/24 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रंजू गोयल, (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

PP submitted that theyhave applied for amendment of TOR due to change production capacity of minerals.

The existing capacity of minerals as	LATERITE :1,39,944 TPA, OCHRE : 11,900 TPA, WHITE CLAY : 5,100 TPA .
Proposed Capacity of minerals as	**LATERITE : 10,080 TPA, OCHRE: 50,220 TPA, WHITE CLAY: 5580 TPA**

The details which are submitted by PP on Parivesh Portal are as given below:

SN	Information Required	Details
1.	**Project**	SIA/MP/MIN/458083/2024.
2.	**Project Name**	RANJU GOEL, Ward No.9 , Shahdol, District- Shahdol (M.P.). 484001, VILLAGE- MAJHAULI - TIKRADUDHI, TEHSIL - PUSPRAJGARH, DISTRICT- ANUPPUR (MADHYA PRADESH) KHASRA NO. 50,51/1,51/2,51/3,279/1,279/2, 279/3,280,282 AREA- 7.768 HECTARE (PVT.LAND) ***Product: OCHRE / WHITE CLAY & LATERITE- 65880 TPA.(Ochre: 50,220 (Max) Ton/Annum White Clay: 5,580 (Max) Ton/ Annum Laterite: 10,080 Ton/Annum).***
3.	**Previous ToR Status**	M/s Raj Minerals, Prop. Smt. Ranju Goyal W/o Shri Pradeep Kumar Goyal, Ward No. 9, Dist. Shahdol, MP, Prior Environment Clearance for Laterite, Ochre & White Clay Mine in an area of 7.768 ha. (Laterite – 1,39,944 Tonne per annum, Ochre – 11,900 Tonne per annum, White Clay – 5,100 Tonne per annum) (Khasra No. 50, 51/1, 51/2, 51/3, 279/1, 579/2, 279/3, 280, 282), Village - Majhauli - Tikradudhi, Tehsil - Pushprajgarh, Dist. Anuppur (MP)
4.	**ToR letter details**	MPSEIAA letter No. 2289 /MPSEIAA/2022 dated 12/12/2022. ToR Valid up to 09/11/2026.
5.	Description of Project	The proposed Laterite, Ochre & White Clay Mine area is 7.768 hectare. Laterite, Ochre & White Clay mining capacity shall be Laterite, Ochre & White Clay proposed excavation is to be Laterite: 10,080 Ton, or Ochre: 50,200 Ton (Max) and White Clay: 5,580 Ton (Max) production annually. mode of excavation will be opencast semi mechanized by using Rock Breaker. Lease area / Status of land of lease area are PVT. Revenue land. Mining project does not require any land acquisition nor raw material.
6.	Capacity	65880 Ton/Annum (Ochre: 50,220 (Max) Ton/Annum White Clay: 5,580 (Max) Ton/ Annum Laterite: 10,080 Ton/Annum).
7.	**LOI**	Letter No. 6992 dated 18/05/2022.
8.	**Ekal Praman Patra**	MO Letter No. 1483 dated 07/09/2022 No more mine in 500 mt.Pheripheri. • Houses reported Approx 500 mt. – 10 No. • Rainy Nallah – 100 mt.distance. • PMY Raoad distance - 50 mt.
9.	**DFO NoC**	Letter No. 3924 dated 06/09/2022.
10.	**DSR (Mine Status)**	Letter No. 1833 dated 18/10/2022.
11.	**Reason of Amendment of TOR.**	Production of change in mining plan and I have uploaded a new modified mining plan. (Reduce the Production Quantity under rule 42(D) & 42(J) Miner Mineral

		Rules 1996.
12.	Gram Sabha NoC	Village- Gedi Aamba, Distt. – Shahdol (M.P.) dated 22/03/2021.
13.	EMP/ Env. Con	Dr. Sanchit Kumar M/s Cognizance Research India Pvt. Ltd. Noida, (Uttar Pradesh).-
14.	PFR	Submit.

After discussion the Commiittee accpted the PP request and recommended the following Proposed Capacity of minerals, as mentioned in the given below table.

Proposed Capacity of minerals as	**LATERITE : 10,080 TPA, OCHRE: 50,220 TPA, WHITE CLAY: 5580 TPA**

The remaining conditions for ToR shall remain same as recommended in 605th dated 10-11-2022 TOR.

5. **Case No P-2/61/2024 Shri MAYUR PATEL, lease owner, R/o- Village- kundiya, Tehsil and District- Barwani. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.999 ha. (Stone & 25220 Cum per annum) (Khasra No. 101/1, 103/1, 105/1, 107/1/1), Village-Lonsara Buzurg, Tehsil & District -Barwani, Madhya Pradesh. (MIN/456785/2024)**

प्रस्तावित Stone खदान बी–1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 19/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri MAYUR PATEL online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव **M/s Aseries Envirotek India Pvt Ltd** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri MAYUR PATEL, lease owner, R/o- Village- kundiya, Tehsil and District- Barwani	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	101/1, 103/1, 105/1, 107/1/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.999 hectare.
स्थल	Village-Lonsara Buzurg, Tehsil & District -Barwani, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 1144 दिनांक 23/11/16 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन – 25220 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार - स्टोन – 25220 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2552 दिनांक 28/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 18.893 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2552 दिनांक 28/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2552 दिनांक 28/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लोनसराखुर्द जिला बड़वानी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 150 दिनांक 14/12/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 22 के सरल क्रमांक–18 पर दर्ज है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)

6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।

26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
29. खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नही है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानो मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रकिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

6. **Case No P-2/63/2024 Smt. SHYAMKALI KOL, OWNER, PO Pachokhar, Piparhari, Banda, Naraini, Uttar Pradesh 210129. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.610 ha. (25,000 cum per annum) (Khasra No. 396) Village- Jhari, Tehsil- Majhgawan , District Satna (M.P.). (MIN/458388/2024)**

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Smt. SHYAMKALI KOL online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Smt. SHYAMKALI KOL, OWNER, PO Pachokhar, Piparhari, Banda, Naraini, Uttar Pradesh 210129	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	396 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.610 hectare.
स्थल	Village- Jhari, Tehsil- Majhgawan , District Satna (M.P.).	

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मार्च 2024

लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, जबलपुर का पत्र पृ. क्रमांक 12902–08 दिनांक 27/09/23 द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2315 दिनांक 12/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2315 दिनांक 12/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2315 दिनांक 12/12/23 अनुसार 500 मीटर की दूरी में आबादी स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झरी (नकैल) जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक –9 दिनांक 02/10/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को सशर्त कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज ऐरिया मे कच्चे मकान स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ये निवास बंजारो द्वारा बनवाये गये थे वर्तमान में कोई रहवासी निवासरत् नहीं है । उत्तर दिशा– तालाब लगभग 32 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि स्थाई प्रकृतिक संरचना नही है पूराने गड्डे मे पानी जमा है।
	दक्षिण–पश्चिम दिशा– पक्का रोड लगभग 91 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 2316 दिनांक 12/12/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा नवीन डीएसआर में शामिल किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा।

परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :–

- लीज क्षेत्र मे कच्चे मकान एवं तालाब के संबंध में ग्राम पंचायत से का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।
- संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करे।
- कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय प्रस्तुत करे।

7. Case No P-2/62/2024 Shri ABHIMANYU CHAUHAN, lease owner, R/O rewa Road, Maihar, District Satna (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.999 ha. (50,000 cum per annum) (Khasra No. 903/3, 903/7) Village-Bathiya, Tehsil-Maihar and District Satna, Madhya Pradesh. (MIN/458520/2024) TOR

प्रस्तावित Stone खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 19/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri ABHIMANYU CHAUHAN, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स Aseries Envirotek India Private Limited लखनऊ, उ.प्र उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri ABHIMANYU CHAUHAN, lease owner, S/o Surendra Singh Chauhan R/O rewa Road, Maihar , District Satna (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	903/3, 903/7, (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड परियोजना प्रस्तावक को भू–स्वामी की सहमति प्राप्त है)	3.999 hectare.
स्थल	Village-Bathiya, Tehsil-Maihar and District Satna, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 10895–98 दिनांक 17/08/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–50,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र	

अन्य खदानें	क्रमांक 2417 दिनांक 21/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 सदृश एवं 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 17.029 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2417 दिनांक 21/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2417 दिनांक 21/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बठिया जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–10 दिनांक 02/10/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को सशर्त कोई आपत्ति नहीं है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– हालेज रोड लगभग 18 मी.
	पश्चिम दिशा– आबादी लगभग 177 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 2416 दिनांक 21/12/23 अनुसार उक्त उत्खनित पट्टा को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

2. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
6. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
7. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
12. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
13- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
14- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
15. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
16. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टेंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
17. फ्री सिलीका स्टडी प्रस्तुत करे ।

8. <u>Case No P-2/64/2024 JABALPUR CEMENT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED, 438, Opp. Petrol Pump, Krishi Upaj Mandi - Jabalpur, Distt. - JABALPUR (M.P.). 482002. Prior Environment Clearance for Expansion in Clinker Grinding Unit (500 TPD to 3500 TPD), Khasara no 297/1, 297/2, 298/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302,</u>

303, 320, 298/1, 299, 321 Village- Joghdhana, Tehsil Bargi Dist Jabalpur (M.P.) (IND1/453551/2024) ToR.

This is a case prior Environment Clearance for Proposed expansion in Clinker Grinding Unit (500 TPD to 3500 TPD), Khasara no 297/1, 297/2, 298/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302, 303, 320, 298/1, 299, 321 Village- Joghdhana, Tehsil Bargi Dist Jabalpur (M.P.). The proposed green field project of Cement Grinding Unit is categorized under 3(b){Cement plants(All Stand-alone Clinker grinding units)}of Gazette Notification dated 14th September, 2006 and its subsequent amendment. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP for the project.

The case presented by the PP's Shri Manoj Sharma CEO and their Environmental consultant Shri Umesh Mishra, M/s Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.)with a request for issuing of TOR to carryout EIA studies with site specific details.

SN	Projects Details		Remarks
1.	Online Proposal No	**Proposal No.:** SIA/MP/IND1/453551/2024	
2.	Proposal /Activity Name	JABALPUR CEMENT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED, 438, Opp. Petrol Pump, Krishi Upaj Mandi - Jabalpur, Distt. - JABALPUR (M.P.). 482002.	
3.	Location of Project	Prior Environment Clearance for Expansion In Clinker Grinding Unit (500 TPD to 3500 TPD), Khasara no 297/1, 297/2, 298/2, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 302, 303, 320, 298/1, 299, 321 Village- Joghdhana, Tehsil Bargi Dist Jabalpur (M.P.), Cat. : 3(b) Cement Plant.	
4.	EC Status	ToR (Expansion).	
5.	Previous EC details.	EC Identification No.- EC22B009MP137578 **File No. 8232/2021** Date of Issue EC 29/04/2022.	
6.	Description of Project	JCIPL proposes for expansion of clinker grinding units from 500 TPD to 3500 TPD in village -Jogidhana Bargi Jabalpur Madhya Pradesh. As per EIA notification dated 14thSeptember, 2006, as amended on 1st December, 2009; the project falls under category "B", project or activity '3(B)'.	
7.	Proposed ToR	Submitted by PP.	
8.	Declaration	No Construction Activity start at site dated 20/12/2023.	
9.	Project Cost details.	Existing 4221 + Proposed 11639 Lakhs. Total Cost of the project/ Activity (in lakhs) [A+B] - 15860 Lakhs.	
10.	Production Qty. in M^3/Y	Expansion In Clinker Grinding Unit (500 TPD to 3500 TPD),	
Documentary Details			
11.	CGWA NOC Status	16.00 KLD, CGWA Application No. 21-4/2031/MP/IND/2023.	
12.	DFO NOC	PP Submit Letter No.- 261 date 11 / 01 /2023.	

13.	Inter State Boundary details	SDO office , Jabalpur letter No. 63 dated 21/01/2021 (Distance – 177 km).
14.	Env. Consultant	Shri Umesh Mishra, M/s Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.).
15.	CTO/CTE	Outward no, 116027 dated 22/07/2022, CTE-56330, Date of Consent issued 22/07/2022, Validity of consent (Valid up to) 22/05/2027.
16.	DG Set details	250 KVA x 1,
17.	PFR	Submited.

After deliberations, the Committee recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's as annexed as annexure "D":-

1. MoEF&CC compliance report.
2. Inventory of all existing trees and if any tree is to be uprooted, then it should be clearly addressed in EIA.
3. Furnish details of Carbon Foot Print & quantification from different sources as DG sets, slag transportation and their management plan shall be studied and discussed in EIA report.
4. Inventory of all existing trees and if any tree is to be uprooted, then it should be clearly addressed in EIA.
5. Existing PM 2.5 & PM 10 level and proposed latest technology for control pollution level and impact on habitation.
6. Proposed solar light provision of 30% in the EIA report.
7. Ambient Air Quality Monitoring Stations should be located in all the villages located in 01 kms radius of the project site and incremental GLC should be predicted in all such villages.
8. Concerned Regional Officer, MP Pollution Control Board must be informed about the monitoring locations and monitoring should be carried out under intimation to him.
9. In EIA study the mode of transportation, storage of fly ash, all raw materials and products should be discussed along with their impacts.
10. Detailed evacuation plan with transport route, required infrastructure and man-power is to be discussed in the EIA report.
11. If on the evacuation route there are human settlements justify how they will be protected or suggest alternate evacuation route.
12. Availability and procurement mechanism with mode of transport of different raw materials.

13. Transportation plan & traffic management plan should be discussed in the EIA report. Detail study shall be conducted to have railway transport facility to reduce the road transport.
14. Suitable proposal for the use of Solar Power to reduce the around 30% domestic electric consumption.
15. Inventory of all sensitive receptors in 2 Km & 5 Km around the mine.
16. Hydro geological study should be carried out if ground water intersection is proposed with suitable proposal of the Rain Water Harvesting mechanism.
17. Top soil management plan should be addressed in EIA report.
18. Input data of modeling should be addressed in EIA along with this all back up calculation.
19. Onsite pictures of monitoring and survey along with date and time on photographs should be attached with the EIA report.
20. Ground water table data should be compared with data of Central Ground Water Board authorities nearest sampling point.
21. Water quality of all the villages within 10 k.m radius should be studied and result should be incorporated in final EIA report.

9. <u>Case No P-2/65/2024 Shri Kesharimal Kumawat, R/o Ward No. 17,Chhachhakhedi,Tehsil-Jiran,District- Neemuch (M.P). Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (Stone - 1000 MTPA) (Khasra No. 2095),</u> <u>ग्राम कनघटटी तसहील मल्हारगढ़ जिला मंदसौर ;म.प्र.)</u> (MIN/456380/2023) - B-2

प्रस्तावित Stone खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Kesharimal Kumawat online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, मेसर्स ए.जी.एस. इन्वायरोमेन्टल सर्विसेस प्राईवेट लि. दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri KESHARIMAL KUMAWAT, R/o Ward No. 17,Chhachhakhedi,Tehsil-Jiran,District- Neemuch (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2095 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.00 hectare.
स्थल	ग्राम कनघटटी तसहील Malhargarh जिला मंदसौर (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक . 10746 दिनांक 05/8/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मार्च 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone - 1000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Stone - 1000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1945 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1945 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1945 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मल्हारगढ जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 2022 दिनांक 18/02/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing- Yes Tree Felling - No परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पेड आच्छादित क्षेत्र को गैर खनन् के रूप में छोडा गया है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– कुछ मकान है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुरानी खदानो के साईट ऑफिस हैं।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1945 दिनांक 25/10/2023 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण

	को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने गूगल ईमेज के अनुसार पाया कि खदान के बीच में से एक कच्ची रोड निकल रही है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसे निर्धारित सेटबैक छोडते हुये वैक्लिपिक मार्ग प्रस्तावित किया है, सेटबैक छोडने से खनन् योग्य क्षेत्र 2.0 हे. बचता है जिसे सरफेस मेप मे दर्शाया है, समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि चूंकि प्रचलित मार्ग में परिवर्तन किया जा रहा है अतः सक्षम अधिकारी/ग्राम पंचायत से सहमति भू–प्रवेश के पूर्व विधिवत् प्राप्त कर ली जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन–1,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.50 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.53 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान के बीच में से एक कच्ची रोड निकल रही है परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रचलित मार्ग में परिवर्तन किया जा रहा है अतः सक्षम अधिकारी/ग्राम पंचायत से सहमति भू–प्रवेश के पूर्व विधिवत् प्राप्त कर ली जावे।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
5. लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेड बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
6. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुए है, अतः वहॉ अस्थाई सरंचना की कर्टेनवाल बनाई जाये एवं जिसे खनन् की दिशा में समय–समय पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जिससे खनन् से उत्पन्न होने वाली धूल से कृषि प्रभावित न हो ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीइ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि.	**राशि (रु. में)**
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी स्वास्थय केन्द्र के रोगी कल्याण समिति के खाते में जमा की जावेगी। जैविक खाद के साथ श्रीअन्न, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग एवं	60,000/-

प्रोत्साहन प्रशिक्षण 6 माह में कृषि विज्ञान केंद्र में काराया जाएगा।	10,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**बैरियर जोन मे वृक्षारोपण**	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	900
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2250
3	**परिवहन मार्ग के दोनों तरफ** ऊचाई 1.5 मीटर से ऊपर (ट्री गार्ड सहित)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	450
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे । नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. <u>Case No P-2/66/2024 Shri BABU SINGH, R/o- Juni Rambhapur, District- Jhabua (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 0.900 ha. (Stone - 3522) (Khasra No. 193), Village -Navapada, Tehsil-Meghnagar, District -Jhabua (M.P.) (MIN/453042/2023 (TOR)</u>

प्रस्तावित Stone खदान बी–1 श्रेणी के अंतगर्त डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 19/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri BABU SINGH online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **Aseries Envirotek India Private Limited** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मार्च 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri BABU SINGH, R/o- Juni Rambhapur, District- Jhabua(M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	193 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	0.900 hectare.
स्थल	Village -Navapada, Tehsil-Meghnagar, District -Jhabua,	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के पत्र क्रमांक 935 दिनांक 13/10/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	फार्म–1 अनुसार लागू नही	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया झाबुआ के पत्र क्रमांक 60 दिनांक 31/5/2016 के द्वारा पत्थर–3522 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन – 3522 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार स्टोन 3522 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1007 दिनांक 19/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 5.73 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1007 दिनांक 19/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1007 दिनांक 19/10/23 । आवेदित क्षेत्र से मानव बसाहट लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है एवं आवेदित क्षेत्र से नाला लगभग 55 मीटर पर, ग्रामीण मार्ग लगगभ 50 मीटर की दूरी पर स्थित है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गडवाडा जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 22 दिनांक 23/5/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–19 के सरल क्रमांक–42 पर दर्ज है ।	

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    f. Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint study with mitigation plan.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
22. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोडते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।

23. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
24. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
25. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
26. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
27. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
28. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से टॉर के लिये अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 अधीन के परिपालन में अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

11. <u>Case No P-2/67/2024 Shri PRATEEK MITTAL, 42 Globus City, Chuna Bhatti , Kolar Road , Bhopal. M.P. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.765 ha. (Stone - 100001.6 Cubic meter per year) (Khasra No. 130/105), at Gram – Bamaladad, Teshil – Ichhawar, Distt. Sehore (MIN/459024/2024) TOR</u>

प्रस्तावित Stone खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर/ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 19/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri PRATEEK MITTAL online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी **AGS Environmental Services Pvt. Ltd.** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मार्च 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri PRATEEK MITTAL, 42 Globus City, Chuna Bhatti , Kolar Road , Bhopal	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	130/105 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.765 hectare.
स्थल	Gram – Bamaladad, Teshil – Ichhawar, Distt. Sehore	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 13238 दिनांक 05/10/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone - 100001.6 Cubic meter per year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Stone - 100001.75 Cubic meter per year है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 6246 दिनांक 01/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 8.915 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 6246 दिनांक 01/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 6246 दिनांक 01/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बलोडिया जिला सीहोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 17 दिनांक 16/4/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	चूकि प्रकरण बी–1 श्रेणी का है, अतः परियोजना प्रस्तावक ईआईए रिपोर्ट के साथ डीएसआर रिपोर्ट जिसमें इस खदान का उल्लेख प्रस्तुत करें ।	

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
6. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
7. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
12. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
13- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
14- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
15. परियोजना प्रस्तावक ईआईए रिपोर्ट के साथ डीएसआर रिपोर्ट जिसमें इस खदान का उल्लेख प्रस्तुत करें ।
16. Carbon footprint study with mitigation plan.

12. <u>Case No P-2/68/2024 Shri Ram singh Rasoniya S/o Shri Bhagirath, Village- Panjri Taluka Narsinghgarh District Rajgarh State Madhya Pradesh (M.P.). Prior Environment Clearance for Panjri Crusher Stone Quarry, Stone Mining - 8,820 Cubic meter per year, KHASRA No. 1, Area- 1 .00 Hect Vill. – Panjri, Tehsil – Narsinghgarh, District – Rajgarh, (M.P.) (MIN/459005/2023) B2 Case.</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 19/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ram Rasoniya online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा,(उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Ramsingh Rasoniya S/o Shri Bhagirath, Village- Panjri Taluka Narsinghgarh District Rajgarh State Madhya Pradesh (M.P.). Prior Environment Clearance for Panjri Crusher Stone Quarry, Stone Mining - 8,820 Cubic meter per year, KHASRA No. 1, Area- 1 .00 Hect Village – Panjri, Tehsil – Narsinghgarh, District – Rajgarh, (M.P.). SIA/MP/MIN/459005/2023.	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 1ए	एरिया– 1.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village – Panjri, Tehsil – Narsinghgarh, District – Rajgarh, (M.P.)	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 926 दिनांक 05/10/2023.	
परियोजना की श्रेणी	बी–2. Fresh EC.	
जल/वायु सम्मति नवीनीकरण	-	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	Controlled blasting techniques, Muffle Blasting.	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।	
उत्पादन क्षमता	• स्टोन – 8,820 घनमीटर/वर्ष.	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्र0. 12 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 खदान स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्र0. 12 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	

परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्र0. 12 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत –पांजरा, जिला – राजगढ़ का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 02 दिनांक 17/08/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing-No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– तलाब लगभग 100 मी. कच्चा रोड लगभग 20 मी. 30मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र में निगरानी हेतु स्वंय का शेड है।
	पूर्व दिशा– पक्का रोड लगभग 430 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्र0. 12 दिनांक 08/01/2024 अनुसार द्वारा अवगत कराया गया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ा जावेगा।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि लीज का अल्प भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया हमको लीज इसी स्थिति में प्राप्त हुई है तथा पिट को सरफेस में दर्शाया गया है एवं **समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 8,820 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.01 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.01 लाख प्रति वर्ष।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल पांजरी में लकडी के फर्नीचर (बीस नग बेंच एवं डेस्क) एवं एक अलमारी	60,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, चिरोल, जंगल जलेबी सिस्सू, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	600
2	नॉन माइनिंग जोन		200
3	परिवहन मार्ग ऊचाई 1.5 मीटर से ऊपर (ट्री गार्ड सहित)	जंगल जलेबी, चिरोल, नीम, पीपल, कस्टार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
3	समीपस्थ तालाब की चारों ओर की बंडिंग पर (ट्री गार्ड सहित)	जंगल जलेबी, चिरोल, आम, नीम, पीपल, कस्टार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	300

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. <u>Case No 8480/2021 Shri Sachin Mishra, Proprietor, M/s BATHIYA STONE MINE, R/o Gyan Colony Rewa Road Maihar District Satna (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.045 ha. (12,996 cum per annum) (Khasra No. 1135/942 & 1136/942) Village- Bathiya, Tehsil- Maihar & District- Satna (M.P.) (MIN/458987/2024) (EIA)</u>

प्रस्तावित खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 19/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Sachin Mishra, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव M/s Aseries Envirotek India Pvt Ltd उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Sachin Mishra, Proprietor, M/s BATHIYA STONE MINE, R/o Gyan Colony Rewa Road Maihar District Satna (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1135/942 & 1136/942 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड, भू–स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	1.045 hectare.
स्थल	Village- Bathiya, Tehsil- Maihar & District- Satna (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 539 दिनांक 14/02/2020 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
टॉर	सेक की 497वीं बैठक दिनांक 05/04/21 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 940 दिनांक 24/05/21 के द्वारा पत्थर–12,996 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–12,996 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–12,996 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2394 दिनांक 18/11/20 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 05.569 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय वन मण्डलाधिकारी वन मण्डला सतना के पत्र क्रमांक 9248 दिनांक 25/09/19 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर	

	में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय न्यायालय तहसीलदार, तहसील मैहरा जिला सतना के पत्र क्रमांक 533 दिनांक 09/07/19 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बठिया जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 24/06/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing - 01 Tree Felling - No
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– कच्चा रोड 25 मी. परियोजना प्रस्तावक ने 25 मी. सेटबैक प्रस्तावित किया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–165 के सरल क्रमांक–131 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि लीज का अल्प भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया हमको लीज इसी स्थिति में प्राप्त हुई है तथा पिट को सरफेस में दर्शाया गया है एवं **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 12,996 घनमीटर/वर्ष

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.49. लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 04.22 लाख प्रति वर्ष।

1. <u>क्षतिपूर्ति के संबंध में:–</u>

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

3. खदान क्षेत्र से लगे हुये 500 मी. परिधि में किसानों को परिवहन कर मिट्टी प्राथमिकता से दी जावे।

4. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
बठिया गांव के शासकीय माध्यमिक शाला में छात्र–छात्राओं को डिजिटल और तकनीकी शिक्षा हेतु एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर के साथ एक कुर्सी और एक मेज तथा प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप दिया जायेगा।	85,000/–
बठिया गांव में वर्ष में दो बार चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जायेगा जिसमे योग्य चिकित्सकों द्वारा ग्रामीणों का निशुल्क उपचार किया जायेगा।	15,000/–

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1270 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन (निजी भूमि)	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, सीताफल, मुनगा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	450
2	बठिया, रेउसा, ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, सीताफल, मुनगा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	800
3	बठिया, गांव के शासकीय प्राथमिक शाला में	कदंब, अमलतास, अशोक, पुतरंजीवा, नीम, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	20
		कुल	1270

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. <u>Case No P-2/69/2024 Shri GOKUL ARYA, Proprietor, R-27, Behind the Hotel Plesure, Zone 1, M.P. Nagar Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for dolomete Mine in an area of 14.691 ha. (20,520 cum per annum) (Khasra No. -254) Village Lohani Tehsil- Sausar District Chhindwara (M.P.). (MIN/459145/2024) TOR</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 19/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Gokul Arya, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri GOKUL ARYA, Proprietor, R-27, Behind the Hotel Plesure, Zone 1, M.P. Nagar Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	254 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	14.691 hectare.

(सरकारी / निजी)		
स्थल	ग्राम Lohani तसहील Sausar जिला Chhindwara (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 16328 दिनांक 28 / 11 / 22 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाइट–20,520 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाइट–20,520 टीपीए है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1161 दिनांक 27 / 09 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 54.726 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1161 दिनांक 27 / 09 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है । आवेदित क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर की परिधि में होने से कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 19 / 01 / 23 में लिए गऐ निर्णय अनुसार ''**वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.–1590 से 85 मीटर की दूरी छोड़कर वन सीमा की ओर आवेदित क्षेत्र से 8 से 10 गेज की 4'' व्यास की जाली से चैनलिंग–फैनसिंग (बिना बारवेट) करने तथा वन सीमा की ओर आवेदित क्षेत्र में स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण करने तथा वृक्षारोपण का खदान अवधि तक संरक्षण करने की शर्त पर अनापत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया''** कार्यवाही की जाना है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1161 दिनांक 27 / 09 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मालेगांव जिला छिंदवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–4 दिनांक 03 / 03 / 22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिंदवाड़ा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1161 दिनांक 27 / 09 / 23 अनुसार उक्त खदान नवीन	

	डीएसआर में जोड़ी जावेगी ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रश्नाधीन खदान में पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. खदान क्षेत्र अच्छी संख्या में पेड है अतः ईको–सिस्टम सर्विसिस सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. लीज क्षेत्र का ड्रोन सर्वे/व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. ओवर बर्डन प्रबंधन योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
7. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
8. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
10. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।
13. खदान क्षेत्र से यदि खेत लगे हुये हो तो 25 मी. का सेटबेक दर्शातें हुये सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
14- सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री–अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6–6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
15- स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतगर्त 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानो द्वारा लगाये गये बढे पेडो को चिन्हित कर

इनके द्वारा अवशोषित कार्वन डाइआक्साइड के एवज् में किसानो को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।

16- Study of Ecological loss and damage regarding flora and fauna. and its remediation plan.

15. <u>Case No 10558/2023 Shri Sushant Lambhate, Suprintendent Authorized Signatory, M/s OMAXE LIMITED, 201, FF-58, Orbit Mall, A.B. Road District-Indore (MP)-452001, Prior Environment Clearance for Construction of Construction of Integrated Township-" Omaxe City-II (Mangliya)" in an area of 35.776 Ha. at (Khasra No. 205, 307/1/1 GH, 209, 310/2, 310/3/1 K, 311/1, 311/2/K, 219, 321, 222, 223, 224, 227/1, 227/2) Village-Manglya, Tehsil-Sawer, District-Indore, (MP). (Violation) (INFRA2/459195/2024)</u>

प्रकरण आज सेक की 731 वीं बैठक दिनांक 19/03/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि चूंकि यह वायलेशन का प्रकरण है और वर्तमान में प्रचलित वायलेशन के निर्धारण हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय जारी O.M. Dated 07/07/2021 एवं O.M. Dated 28 /01/2022 पर मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के W.P.(C) No. 1394/2023 के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया । समिति चर्चा उपरांत मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक इस इस प्रकरण को डिलिस्ट करने का निर्णय लेती है ।

16. <u>Case No P-2/70/2024 Shri Akash Shukla, Authorized Person, M/s SAMDARIYA BUILDERS (RATLAM) PRIVATE LIMITED M.I.G., Vikram Nagar, Ratlam, (M.P.) – 457001. Prior Environment Clearance for Proposed "SAMDARIYA GOLD COMPLEX" Construction of Commercial Complex (M.P.) at Khasra no. 100 (Ratlam), 104/2 (Ratlam), 105 (Ratlam), 106/2/2 (Ratlam), 108/2/2 (Ratlam), 116/2 (Ratlam), Village/Tehsil/District- Ratlam (M.P.). Total Land Area – 24,900.0 m2 (2.49 Ha.). Total Built-up Area - 125576.802 sqmtr. (INFRA2/456558/2023)</u> Cat. 8 (a) Project. B2 Cat.

This is case of Environment Clearance for Proposed "SAMDARIYA GOLD COMPLEX" Construction of Commercial Complex (M.P.) at Khasra no. 100 (Ratlam), 104/2 (Ratlam), 105 (Ratlam), 106/2/2 (Ratlam), 108/2/2 (Ratlam), 116/2 (Ratlam), Village/Tehsil/District-Ratlam (M.P.). Total Land Area – 24,900.0 m2 (2.49 Ha.). Total Built-up Area - 125576.802 sqmtr.

<u>PP submitted following points om Parivesh portal:</u>

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/456558/2023. **New**

		Case .
2.	**Name of Applicant**	Shri Akash Shukla, Authorized Person, M/s SAMDARIYA BUILDERS (RATLAM) PRIVATE LIMITED M.I.G., Vikram Nagar, Ratlam, (M.P.) – 457001.
3.	**Project details**	Prior Environment Clearance for Proposed "SAMDARIYA GOLD COMPLEX" Construction of Commercial Complex (M.P.) at Khasra no. 100 (Ratlam), 104/2 (Ratlam), 105 (Ratlam), 106/2/2 (Ratlam), 108/2/2 (Ratlam), 116/2 (Ratlam), Village/Tehsil/District- Ratlam (M.P.). **Total Land Area – 24,900.0 m2 (2.49 Ha.). Total Built-up Area - 125576.802 sqmtr.** **Cat. 8(a) Building Construction Projects.**
4.	Description of Project	The proposed project consists of Shops, Offices, Multiplex, Gaming Zone, Food court and banquet hall etc.
5.	New / Expansion /	New Case.
6.	LOA	M.P. Housing & Infrastructure Development Board Ujjain Circle. LOA/2766 /TC/Circle /2022-23 dated 20/09/2022.
7.	Project Cost	44900 Lakhs.
8.	Maximum Height	30.00 Mt.(As per Conceptual Plan).
9.	**Lat./Log.**	1 A 23°19'42.80"N 75° 2'34.90"E 2 B 23°19'36.15"N 75° 2'33.64"E 3 C 23°19'35.91"N 75° 2'36.55"E 4 D 23°19'39.24"N 75° 2'38.20"E
10.	Water NOC	Permission letter No. 121/Water Supply, Ratlam dated 21.09.2023.
11.	T&CP Permission details.	No. RTMLP280423148/ date / 17/MAY/2023.
12.	Extra Treated Water NOC	Letter No. 110 dated 21.09.2023.
13.	MSW NOC	Letter No. 110 dated 21.09.2023.
14.	Diesel power generating capacity (power backup)	2 no. of DG Set of 1500 kVA.
15.	Rainwater harvesting details.	7 RWH pits has been proposed at the project site.
16.	Tree Cutting Permission	क्रमांक : 0001/8000702173/उ.ती/2023 Ratlam dated 09/01/2023 (Total Plants – 156 No.).
17.	EMP/ Env. Con	Mr. Varun Bhardwaj, M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) Valid up to 13. 01 2026.
18.	Parking details.	**Total Parking– 984 ECS.**

The case was presented by the Environmental consultant Ms Rashmi Saraswat from M/s. Zenith Environment Consultancy, Noida UP along with Authorized Person Shri Akash Shukla, M/S Samdariya Builders (Ratlam) Private Limited wherein submitted that proposed commercial building **"Samdariya Gold Complex(Gems & Jwelery)" Construction of Commercial Complex By M/s Samdariya Builders (Ratlam) Private Limited, Mr. Kishore Samdariya,** which is to be developed at Plot No. Khasra no. 100 (Ratlam), 104/2 (Ratlam), 105 (Ratlam), 106/2/2 (Ratlam), 108/2/2 (Ratlam), 116/2 (Ratlam), the total plot

size for the project is **24900 Sq.mtr. (6.153 acres).** The project will be developed for Commercial. The proposed project encompasses Shops, Offices, Banquet hall, Food court, and Multiplex etc. The **total Built up Area** is **125576.802** m^2, which is less than 1,50,000.00 m^2 therefore, the project comes under **schedule 8(a); category B** as per the EIA Notification 14th September, 2006.

PROJECT SALIENT FEATURES

PROJECT FEATURES	DESCRIPTION
Project Name & Location	Proposed Commercial Building "Gold Complex Gems & Jewelry" Construction of Commercial Complex by M/s Samdariya Builders (Bhopal) Private Limited, Mr. Kishore Samdariya, which is to be developed at Plot No. Khasra no. 100 (Ratlam), 104/2 (Ratlam), 105 (Ratlam), 106/2/2 (Ratlam), 108/2/2 (Ratlam), 116/2 (Ratlam),Village/Tehsil/District- Ratlam State – Madhya Pradesh.
Project Size & type	The total plot size for the project is 24900 Sq.mtr. (6.153 acres). The project will be developed for Commercial. The proposed project consists of Shops, Offices, Hotel, Banquet hall, Food court, and Multiplex etc. Shops 1027, Cinema=3 screens, Food court=1, Gaming zone = 1, Banquet =2, Office Chamber =228, Hotel =1(84 rooms)
Project proposed Built-up Area	The total Built up Area is 125576.802m^2, Proposed Building Heights = permissible 30 Mts. (B+G+9)
Total Estimated Population	Total Population:13490 Total No. of Staff: 1157 Total No. of Resident: 304 Total No. of Visitors: 12029
Total Estimated Water Requirement	Construction Phase= 1.25 KLD (Agency: Private Water Tanker) Operation Phase =251 KLD (Fresh Water = 114 KLD) (Agency: Municipal corporation)
Total Estimated Wastewater Generation	Construction Phase= 1.00 KLD (temporary soak pit) Operation Phase=240 KLD (Proposed 265 KLD STP MBBR Technology- 10% enhanced capacity)
Solid Waste Generation	3216.32 Kg/day Operation Phase
Green belt/Green cover and the Landscape plan.	Landscape area of 2490 m^2 i.e. 10 % of plot area has been proposed. Total trees proposed 294. Total Periphery length 810 M.

Parking Facilities	Total =984, Open Parking= 94, Additional Open Parking =150, Basement Parking= 740
Project Cost	Rs. 449.78 Crores Land Cost: 134 Cr. Construction Cost: 315.78

LIST OF STATUTORY PERMISSIONS AND NOC

S. No.	NOC/Permissions	Reference
1	T & CP Letter from कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला रतलाम मध्य प्रदेश	Letter NO. RTMLP2804318/Dated/17/May/2023
2	Water Supply NOC	Letter No. 111/ ज.प्र./2023 Date:- 21/09/2023
3	Waste Water NOC	Letter No. 110/ लोनिवि/2023 Date:- 21/09/2023
4	Solid Waste NOC	Letter No. 112/स्व.भ.मि./2023 Date:- 21/09/2023
5	Sanction Letter	Letter No. PMT/RAT/0250/029/2024 Dated: 01/18/2024
6	Approved Layout	Dated: 01/18/2024
7	Tree Cutting Permission	Letter No. 0001/8000702173/उ.ती/2023 Dated: 09/01/2023

During presentation committee observed on the Google image time line , previously some tree were existed in the project site and and in present google image of the area, trees are shown felled . In this cntext Environmental consultatnt submitted that tree felling permissions from Nagar Nigam was obtained Nagar Nigam, Ratlam which has shown during presentation by the consultatnt . The Commiitteee observed that tree felling permission taken from Nagar Nigam, Ratlam vide Letter No. 0001/8000702173/उ.ती/2023 Dated: 09/01/2023 while land allotment / sanction letter allotted to the PP on vide letter No. PMT/RAT/0250/029/2024, Dated: 01/18/2024. Thus trees are felled by the PP before the sanction letter of the project area . It was pointed out by the committee that the tree

felling carried out at site shall be treated as violation of the provisions of the EIA notification.

PP further submitted following facts before the committee in this regard:

1. There were 211 trees in the planning area and it was felt that without removing these exact layouts plan cannot be prepared.2. Hence, as per provisions of the OM F. No. IA3-22/10/2022-IA.III [E 177258] Dated 29.03.2022, of MoEF & CC, (Annex.1) we obtained permission from the concerned authority for felling of the identified trees from the site (Annex. 2) and removed the same from the planning area.

3. It is very humbly submitted that without removal of the trees from the planning area layout drawings and evaluation of total built up area etc. for necessary approvals from TNCP was not possible.

4. The tree felling with due permissions from the concerned authorities is permitted before EC as per the referred OM of the MoEF & CC, hence may not be treated as violation.

In view of above facts, it is requested to consider our case for prior EC based on the merits.

समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 211 पेड नगर निगम कि अनुमति उपरान्त काटा गया है जो कि प्रोजेक्ट आवंटन के पूर्व कियान्वयन किया है जो कि एक प्रकार का बायलेशन है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन का संदर्भित ओ.एम. 29/03/22 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि कि सुरक्षा हेतु निम्न उपाये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी मिलने के पूर्व किये जा सकते है।

- Fencing of the project site by boundary wall using civil construction, barbed wire or precast.
- Construction of temporary sheds .
- provision of of temporary electricity and water supply for project site./ gaurds only.

The above activities shall be undertaken subject to the following:

I. The lend should be in the legal possession of the PP and all statutory approvals in respect of the project site should have been obtained .
II. In case of involvement of any forest land, no activity shall be initiated at the site till the Stage II Forest Clearance is obtained under the relevant provisions of Forest (Conservation) Act, 1980. In case of applicability of Wildlife Clearance, necessary permission SCNVWL shall be obtained.

III. In case of felling of trees if any, requisite permission from the Forest Department / Statutory Authorities of the concerned State Government shall be obtained.

IV. The investment made by the Project Proponent on the above, in anticipation of the applicable clearances under the relevant provisions of the Acts/Rules, shall be entirely at the cost and risk of the proponent.

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्दश दिये कि निम्न बिन्दुओं पर अध्ययन कर प्रस्तुत करें।

1. **Assessment of ecological damage with respect to flora & fauna, air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.**
2. **Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.**
3. **The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.**

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन का संदर्भित ओ.एम. 29/03/22 के प्रकाश में समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 211 पेड नगर निगम कि अनुमति उपरान्त काटा गया है जो कि प्रोजेक्ट आवंटन के पूर्व कियान्वयन किया है अतः सिया द्वारा इस सबंध में निर्णय लिया जावे कि इसे वायलेशन माना जावे अथवा नहीं।

17. **Case No P-2/71/2024 Shri Shyam Banjara, Owner , Kisalpuri Metal Stone Quarry Project, R/0 Muni ki rethi, C-1, Dhalwala Tehri, Garwal Uttrakhand, Prior Environment Clearance for Kisalpuri Metal Stone Quarry Project, Area- 1.30 ha. Metal Stone – 52, 632 M3/year. at Khasra no- 574, Village- Kisalpuri, Teh & District - Dindori (M.P) (MIN/459319/2024) B2 Case. T.P.**

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 19/03/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Shyam Banjara, Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रश्मि सारस्वत, मेसर्स जेनिथ इंवायरमेंट कंसलटेंसी नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मार्च 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Shyam Banjara, Owner , Kisalpuri Metal Stone Quarry Project, R/0 Muni ki rethi, C-1, Dhalwala Tehri, Garwal Uttrakhand, Prior Environment Clearance for Kisalpuri Metal Stone Quarry Project, Area- 1.30 ha. Metal Stone – 52, 632 M^3/year. at Khasra no- 574, Village- Kisalpuri, Tehsil & District - Dindori (M.P). SIA/MP/MIN/459319/2024.	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 574,	एरिया– 1.30 ha., निजी भूमि – अनुबंधित, अध्यक्ष पेसा एक्ट के तहत् जारी किया गया है।
परियोजना स्थल	Village- Kisalpuri, Tehsil & District - Dindori (M.P)	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र0. 537 दिनांक 16/12/2023.	
परियोजना की श्रेणी	**बी–2.**	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Single row blasting, (As per Parivesh Portal up-loaded information).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	**लागू नही।**	
उत्पादन क्षमता	• **स्टोन (गिट्टी) – 52,532 घनमीटर/वर्ष** ।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 608 दिनांक 12/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 01.30 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 608 दिनांक 12/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 608 दिनांक 12/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – किसलपुरी, जिला – डिण्डोरी का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 23 दिनांक 06/08/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	

प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing- No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा– पक्की रोड लगभग 110 मी. पश्चिम दिशा– पक्की रोड लगभग 55 मी.
जल/वायु सम्मति वैद्यता	CTO is Expired.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	खनिज अधिकारी, कार्यालय खनिज शाखा जिला – डिण्डोरी के पत्र क्र0. 607 दिनलांक 12/01/2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे इस खदान के नाम को समावेशित कर लिया गया है। उक्त का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चेप्टर 13 मे कर लिया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान को अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित है। परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि पश्चिम दिशा मे पक्की रोड लगभग 55 मी. की दूरी पर है एवं उत्तर दिशा में 110 मी. की दूरी पर है अतः निर्धारित सेटबैक छोडने के फलस्वरूप लगभग 0.36 हे. क्षेत्र खनन् योग्य शेष बचता है।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि चूकी प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तातंरित कर दी जावें। खनन् कार्य प्रारम्भ करने के प्रथम तीन माह के अंदर राशि हस्तारण कर दी जावे ।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **स्टोन (गिट्टी) – 52,532 घनमीटर/वर्ष** ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.22 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.68 लाख प्रति वर्ष।
3. <u>क्षतिपूर्ति के संबंध मेंः–</u>
   - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।

- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

4. प्रकरण अस्थायी अनुज्ञा के अंतर्गत पर आवंटित अतः पौधा रोपण तीन माह में पूर्ण कराया जाये एवं प्रस्तावित सामाजिक कार्य (सी.ई.आर) एवं पौधा रोपण की सुरक्षा व रख रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तातंरित कर दी जावें।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
As suggested by the SEAC committees Rs 30,000/- will be donated to primary schools in village kisalpuri.	**30,000**

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफ़ेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	3,000
2	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1,500

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. <u>Case No P-2/99/2024 Shri VIKRAM CHOUHAN, Lessee, R/o-Village-Pipliya Vijay, Tehsil- Barod, District-Agar Malwa, M.P. Prior Environment Clearance for Gitti, M-Sand and Murrum in an area of 4.00 ha. (Gitti – 10000 Cubic meter per year, M-Sand – 5000 Cubic meter per year and Murrum & 3509 Cubic meter per year) (Khasra No. 474), Vill.-Jamli, Tehsil- Barod, District- Agarmalwa (M.P.) (MIN/458249/2024) B-2</u>

प्रस्तावित Gitti खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Vikram Chouhan online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri VIKRAM CHOUHAN, Lessee, R/o-Village-Pipliya Vijay, Tehsil- Barod, District-Agar Malwa, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	474 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Vill.-Jamli, Tehsil- Barod, District- Agarmalwa (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगरमालवा के पत्र क्रमांक 71 दिनांक 18/01/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Gitti – 10000 Cubic meter per year, M-Sand – 5000 Cubic meter per year and Murrum – 3509 Cubic meter per year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Gitti – 10000 Cubic meter per year, M-Sand – 5000 Cubic meter per year and Murrum – 3509 Cubic meter per year है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगरमालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 36 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगरमालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 36 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव	

	विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगरमालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 36 दिनांक 08/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में आगर सड़क रास्ता 165 मीटर की दूरी पर है
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जामली जिला आगरमालवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 16/8/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existing-07 Tree Felling - 03 Additional tree to be planted -30
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा– कच्ची रोड 150 मी. 143 मी.(उपलब्ध गूगल इमेज दिनांक 24/02/22 के अनुसार)
	पूर्व दिशा– पक्का रोड 202 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 993 दिनांक 13/12/2023 उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला आगर मालवा में सम्मिलित कर ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Gitti – 10000 घनमीटर/वर्ष प्रति वर्ष, M-Sand – 5000 घनमीटर/वर्ष प्रति वर्ष एवं Murrum & 3509 घनमीटर/वर्ष प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.60 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 02.76 लाख प्रति वर्ष।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
आयुष्मान आरोग्य मंदिर जामली में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र एवं स्वास्थ व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी।	80000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4770 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा 837 मीटर परिधि तक)	**कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू , जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोल आदि।**	2570
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 205 मीटर तक ऊचाई 1.5 मीटर से ऊपर (ट्री गार्ड सहित)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसः– करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, **कदम्ब** इत्यादि।	100
3	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि।	2000
4	ग्राम जामली स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में	कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर . पुत्रंजीवा, आदि।	100
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. <u>Case No 9972/2023 Shri Subhash Chand Bansal, Designated Partner, M/s SIGNATURE SECURITIES LLP, Shop no-209, block-A6, LSC DDA Market, Paschim Vihar, New Delhi. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.430 ha. (Dolomite-50,032 TPA) (Khasra No. 659) Village-Bhadawar, Tehsil-Badwara, District-katni. (M.P.) (MIN/458262/2024) EIA</u>

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 19/03/24 को परियोजना प्रस्तावक Shri Subhash Chand Bansal, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Subhash Chand Bansal, Designated Partner, M/s SIGNATURE SECURITIES LLP, Shop no-209, block-A6, LSC DDA Market, Paschim Vihar, New Delhi.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	659 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.430 hectare.
स्थल	Village-Bhadawar, Tehsil- Badwara, District-katni. (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, जबलपुर का पत्र पृ. क्रमांक 1435 दिनांक 02/02/22 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
टॉर	सेक की 556वीं बैठक दिनांक 23/06/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 940 दिनांक 24/07/23 के द्वारा Dolomite-50,032 TPA के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Dolomite-50032 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Dolomite-50032 TPA है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 414 दिनांक 13/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.68 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 414 दिनांक 13/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 414 दिनांक 13/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भादावर जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 12/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing-20 Tree Felling - 06 Additional tree to be planted -60 परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में जो पेड लगे है, उनको नहीं काटा जायेगा।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–67 के सरल क्रमांक–19 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) लीज का अल्प भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया हमको लीज इसी स्थिति में प्राप्त हुई है तथा पिट को सरफेस में दर्शाया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा खनिज अधिकारी का पत्र कं. 258 दिनांक 30/01/24 प्रस्तुत किया गया है। **समिति ने पाया कि (गूगल ईमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया की लीज क्षेत्र का लैंड–यूज चारागाह प्रकृति का है, अतः** परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन मण्डलाधिकारी कटनी के माध्यम से **समिपस्थ वन क्षेत्र में 10 हे. भूमि में चारागाह विकास एवं जल संरक्षण के कार्य किये जाये इस हेतु** FDA Account **में 5.0 लाख रूपये जमा कराये जाने का प्रावधान** पर्यावरण प्रबंधन योजना में किया गया है।

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मार्च 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Dolomite-50,032 टन/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 23.85 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 04.99 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट द्वारा भदावर ग्राम के सड़क निर्माण और ग्राम विकास के लिए ग्राम पंचायत **के खाते में राशि जमा किया जायेगा।**	50,000/-
भदावर ग्राम में एक नया हैंडपम्प के चारो तरफ चबूतरा बनवा कर रेनवाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवा दिया जाएगा ।	40,000/-
प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट द्वारा भदावर ग्राम के सरकारी स्कूल की अधोसंरचना और आंगनवाड़ी में विकास के लिए धन राशि का सहयोग किया जायेगा।	50,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5400 .वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	शीशम, चिरोल, पीपल, बबूल, नीम, आम, सीताफल व अन्य उपलब्ध स्थानीय प्रजातियां।	1170
2	परिवहन मार्ग (50 मीटर) ऊचाई 1.5 मीटर से ऊपर (ट्री गार्ड सहित)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	100
3	भदावर तथा आस–पास के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, सीता अशोक मुनगा इत्यादि।	4110
3	प्राइमरी स्कूल भदावर में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	20

4	चारागाह के विकास हेतु	चरागाह हेतु फोडर ट्रीज एवं स्थानीय घास प्रजाति, ग्राम पांचयत के माध्यम से लगाये जायेंगे। जिसकी लागत ई.एम.पी. में दी गई है ।
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।		

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20. <u>Case No P-2/75/2024 Shri ANIL RATHORE, Lessee, Gram jainabad tahsil and district-Burhanpur MP. Prior Environment Clearance for Crusher Stone in an area of 1.20 ha. (Crusher Stone – 10000 Cubic meter per year) (Khasra No. 292/2 and 292/4), Village Ghanshyampura, Tehsil-Khaknar District- Burhanpur. (MIN/459347/2024) B-2</u>

प्रस्तावित Stone खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 19.03.2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Anil Rathore on- line एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Dehli उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri ANIL RATHORE, Lessee, Gram jainabad tahsil and district-Burhanpur MP	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	292/2 and 292/4 (निजी भूमि)	1.20 hectare.
स्थल	Village Ghanshyampura, Tehsil-Khaknar District- Burhanpur	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 940 दिनांक 26/9/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Crusher Stone – 10000 Cubic meter per year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Crusher Stone – 10000 Cubic meter per year है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1109 दिनांक 22/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1109 दिनांक 22/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1109 दिनांक 22/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चाकबारा जिला बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 01/7/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र में जो पेड लगे है उनको नहीं काटा जायेगा।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– कच्ची रोड लगभग 20 मी. परियोजना प्रस्तावक ने 30 मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया है।
	दक्षिण पूर्व दिशा– नाला लगभग 300 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1109 दिनांक 22/11/2023 उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला आगरमालवा में सम्मिलित कर ली जावेगी ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) लीज का अल्प भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया हमको लीज इसी स्थिति में प्राप्त हुई है तथा पिट को सरफेस मेप में दर्शाया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Crusher Stone–10,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.46 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.40 लाख प्रति वर्ष।
3. <u>क्षतिपूर्ति के संबंध मेंः–</u>

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू–प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
5. लीज क्षेत्र के समीप में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेड बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
अधोसंचरचना विकास हेतु उल्लेखित राशि पालक शिक्षा संघ सरकारी प्राइमरी स्कूल घनश्यामपुरा में जमा की जा सकेगी ।	60,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 420 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के प्रस्तावित बैरियर जोन सीमा में (450 m)	पीपल,, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू , नीम आदि।	300
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 30 मीटर तक (पूर्ण सुरक्षा सहित)	करंज, जंगल जलेबी, चिरोल, नीम, सिस्सू आदि।	20
3	ग्राम घनश्यामपुरा की	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– संतरा, पपीता, आम, हाइब्रिड मूंगा, कटहल, आवला आदि।	100

	शासकीय शाला में एवं ग्राम वासियो को फलदार पौधे वितरण हेतु		
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. Case No 10380/2023 DRISHTI MINING, E-7/626, Arera Colony R.S. Nagar huzur Bhopal MP. Prior Environment Clearance for Sabdalpur Quartz & Feldspar Mine in area-6.475 ha.,khasra no- 210, 211, 212, 213, 214 & 222Village-Sabdalpur, Tehsil-Datia District - Datia, Madhya,Pradesh. EIA.

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 19.03.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल गुप्ता, पार्टनर, मे0. दृष्टि माइनिंग एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परि. / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Anil Gupta, Partner, M/s Drishti Mining, E-7/626, Arera Colony, R.S. Nagar, Huzur, District-Bhopal (MP)-462016, Prior Environment Clearance for Sabdalpur Quartz & Feldspar Mine in an area of 6.475 ha. (95,000 TPA) (Khasra No. - 210, 211, 212, 213, 214, 222), Village- Sabdalpur, Tehsil-Datia, District-Datia (MP) [463465]	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	210, 211, 212, 213, 214, 222, ग्राम – सबदलपुर, तहसील – दतिया, जिला – दतिया (म.प्र.),	6.475 हेक्टेयर (शासकीय भूमि)
परियोजना की श्रेणी	बी–1 श्रेणी,	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **Quartz & Feldspar - 95,000 TPA** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **Quartz & Feldspar - 95,000 TPA** हेतु स्वीकृत है।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र क्र0. 9017 दिनांक 23 / 12 / 2022. (दि0.11 / 01 / 1996 से 10 / 01 / 2046),	
टॉर स्थिति	टॉर अनुशंसित 674 सेक बैठक दिनांक 02 / 09 / 2023. टॉर जारी पत्र क्र0. 1710 / सिया / 2023 दिनांक 12 / 20 / 2023.	

731वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 मार्च 2024

जन सुनवाई तिथि	दिनांक 02/02/2024. जन सुनवाई के दौरान मुख्य बिन्दु उठाये गये। • निवेदन है कि किसानो के हित का बचाव करके विकास किया जाये। हमे कोई परेशानी नहीं है। शासन की जमींन है। रोजगार मिलेगा तो खुशी की बात होगी। • श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि मै (राहूल दांगी) आपसे निवेदन करता है कि मेरी 10 बीघा जमीन नहर के पानी से बह जाने से फसल खराब (नष्ट) हो गयी है। कृपया निवेदन है कि उस पर कोई विचार किया जाये। • मेरे गांव में कम से कम 100 पेड़पौधे लगवाए जाये।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **दतिया** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 605 दिनांक 02/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 6.475 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **दतिया** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 605 दिनांक 02/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला **दतिया** के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 605 दिनांक 02/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान/ग्रामीण पक्का रास्ता/नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	परियोजना प्रस्तावक **द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान** ग्राम पंचायत **की अनापत्ति पत्र कं. 616 दिनांक 05/06/23 प्रस्तुत की गयी।**
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र में जो पेड लगे है उनको नहीं काटा जायेगा।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	लीज क्षेत्र लगभग 15 मी. ऊँचाई पर स्थित है। पूर्व दिशा– आबादी लगभग 270मी. एवं पक्का रोड लगभग 340 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.– **53** के सरल क्रमांक –**02** पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने गूगल ईमेज के अनुसार पाया कि लीज क्षेत्र में झाडियों एवं पेडो को मिलाकर लगभग 130 हैं।इन मे से लगभग 115 पेड काटे जाना प्रस्तावित है। अतः परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि 1200 पेड अतिरिक्त लगाये जावेगें एवं वृक्षो को काटने कि अनुमति सक्षम अधिकारी से विधिवत् प्राप्त करेगें। इसके अतिरिक्त निर्देश दिये कि लीज क्षेत्र के चारो ओर continous

contour trenches बनायी जावेगी एवं बेरीयर जोन मे मात्र करधई के पेड लगाये जायें एवं जो बंड बनेगा उस पर नीम की निबोली/कस्टार के बीज लगायेंगे।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने गूगल ईमेज के अनुसार पाया कि खदान के बीच में से एक कच्ची रोड निकल रही है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसे निर्धारित सेटबैक छोडते हुये वैक्लपिक मार्ग दिया है मार्ग कि लम्बाई 355 मी. है चूंकि प्रचलित मार्ग में परिर्वतन किया जा रहा है, समिति ने निर्देश दिये कि चूंकि प्रचलित मार्ग में परिवर्तन किया जा रहा है अतः सक्षम अधिकारी/ग्राम पंचायत से सहमति भू–प्रवेश के पूर्व विधिवत् प्राप्त कर ली जावे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया जो नया मार्ग बनाया जायेगा उस के लिये परियोजना प्रस्तावक द्वारा 6.0 लाख रूपये का प्रवधान किया गया है, उक्त कार्य खनन् कार्य करने के पूर्व किया जायेगा, जिससे आवागमन प्रभावित न हो। उक्त नव निर्मित मार्ग जो कि कच्चा मार्ग है, अतः 50 मी. तक का क्षेत्र गैर खनन् के रूप में छोडा जावेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि सेटबैक छोडने से खनन् योग्य क्षेत्र 3.59 हे. बचता है जिसे सरफेस मेप मे दर्शाया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Quartz & Feldspar - 95,000 TPA ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 23.26 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 07.31 लाख प्रति वर्ष ।
3. खदान के बीच में से एक कच्ची रोड निकल रही है परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रचलित मार्ग में परिवर्तन किया जा रहा है अतः सक्षम अधिकारी/ग्राम पंचायत से सहमति भू–प्रवेश के पूर्व विधिवत् प्राप्त कर ली जावे।
4. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत् वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।
5. लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेड बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।
6. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुए है, अतः वहॉ अस्थाई सरंचना की कर्टेनवाल बनाई जाये एवं जिसे खनन् की दिशा में समय–समय पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जिससे खनन् से उत्पन्न होने वाली धूल से कृषि प्रभावित न हो ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 04.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू. में

ग्राम सबदलपुर के ग्रामवाशियों के लिए साल में दो बार रक्तचाप, मधुमेह और मौखिक स्वच्छता की जाँच के लिए स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगवाया जायेगा	100,000/–
प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट द्वारा सबदलपुर ग्राम के सरकारी स्कूल की अधोसंरचना, लड़कियों के लिए टॉयलेट और आंगनवाड़ी में विकास के लिए ग्राम पंचायत **के खाते में राशि जमा किया जायेगा।**	3,00,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 9390 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	**बैरियर जोन**	सिस्सु नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज ,अंजन, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1090
2	**नॉन माइनिंग एरिया**	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज अंजन, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2000
3	सबदलपुर, बीकर, के गांवो में ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, सीता अशोक मुनगा इत्यादि।	6250
4	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सबदलपुर	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि (ट्री गार्ड सहित)	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.

q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
   - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
   - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
   - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
   - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
   - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
   - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
   - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊॅचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे